



5/10-511
2011/00105

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी वार्ड नं० 4बी बडी शर्कज नाहर पक्की जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में

रखवाई जावे।

प्रार्थी को गवाहान श्रीमती जोगेन्द्र कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह एवं श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाह की पहचान श्री अशोक तुली अधिवक्ता, श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

जिला पंजीयक महोदय

9/11/11
10/11/11
[Signature]